तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज दानिश फौजदार बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 114 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दानिश फौजदार पता हाथीराम का ओडा, महावतों की मस्जिद के सामने, नागौरीगेट रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.05.19 में उसके द्वारा (1), जोधपुर के वार्ड संख्या 48 में रसद विभाग द्वारा कितनी राशन की दूकाने खोली हुई है मात्र संख्या की जानकारी व अन्य बिन्दुओ, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 850 दिनांक 10.07.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर जिला रसद विभाग जोधपुर से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर को जरिये पत्रांक 561 दिनांक 10त्र.05.19 के स्थानान्तरित करते हुए प्रार्थी को भी पत्र पृष्ठांकित किया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) द्वारा विधिक प्रकिया के तहत प्रार्थना पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) को स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से अपील स्वीकार करते हुए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	